

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम पदेन सहायक कलेक्टर श्रीगंगानगर

पीठाधीन अधिकारी - मनोज कुमार शीना, आर.एस.

वाद पत्र संख्या 02/2022

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. कारतकरी अधिनियम



1. देवप्रपाल सिंह बराम पुत्र श्री हरनक सिंह बराम, आयु 21 वर्ष, जाति जट सिख, निवासी बराम 5-सी छोटी, गहसील व जिला श्रीगंगानगर।
 2. हरनक सिंह बराम पुत्र श्री विविज सिंह बराम, आयु 55 वर्ष, जाति जट सिख, निवासी बराम 5-सी छोटी, गहसील व जिला श्रीगंगानगर।
 3. मनजीत कौर पत्नी श्री विविज सिंह, आयु 82 वर्ष, जाति जट सिख, निवासी बराम 5-सी छोटी, गहसील व जिला श्रीगंगानगर।
 4. सुखजिन्द कौर पुत्री श्री विविज सिंह, आयु 52 वर्ष, जाति जट सिख, निवासी बराम 3-सी.सी., गहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।
 5. बलजीत सिंह पुत्र श्री बिलोक सिंह, आयु 39 वर्ष, जाति जट सिख, निवासी बराम 5-सी छोटी, गहसील व जिला श्रीगंगानगर।
 6. गुरप्रीत कौर पत्नी श्री बलजीत सिंह, आयु 38 वर्ष, जाति जट सिख, निवासी बराम 5-सी छोटी, गहसील व जिला श्रीगंगानगर।
 7. बूटा सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, आयु 70 वर्ष, जाति जट सिख, निवासी बराम 5-सी छोटी, गहसील व जिला श्रीगंगानगर।
 8. हरबंस सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह, आयु 43 वर्ष, जाति जट सिख, निवासी बराम 5-सी छोटी, गहसील व जिला श्रीगंगानगर।
 9. बलजिन्द कौर पत्नी श्री हरबंस सिंह, आयु 40 वर्ष, जाति जट सिख, निवासी बराम 5-सी छोटी, गहसील व जिला श्रीगंगानगर।
 10. विन्दपाल सिंह पुत्र श्री बलकौर सिंह, आयु 51 वर्ष, जाति जट सिख, निवासी बराम 4-एस.पी.एस., सलेमपुरा, गहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।

— वादीगण

बराम

अस्थिक सिंह श्रवाल पुत्र श्री परमजीत सिंह श्रवाल, जाति जट सिख, निवासी बराम 19-जैड, गहसील व जिला श्रीगंगानगर, जसिंधू मुख्याराम राजिन्द सिंह पुत्र श्री गुरमेल सिंह, जाति जट सिख, निवासी बराम 5-सी छोटी, गहसील व जिला श्रीगंगानगर।

2. निर्मल सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह, जाति जट सिख, निवासी बराम 5-सी छोटी, गहसील व जिला श्रीगंगानगर।

3. परमजीत कौर पत्नी श्री दर्शन सिंह, जाति जट सिख, निवासी बराम 5-सी छोटी, गहसील व जिला श्रीगंगानगर।

4. सन्तोख सिंह पुत्र श्री जयमल सिंह, जाति आरिया, निवासी बराम 5-सी छोटी, गहसील व जिला श्रीगंगानगर।

5. स्टेट ऑफ राजस्थान, जसिंधू गहसीलदार (राजस्थ), श्रीगंगानगर।



646483
 -7-22
 13100

परीकार राज
 प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध दिनांक 26.05.2022 को एकपक्षीय
 कार्यवाही की गई।

--- निर्णय ---

दिनांक 22.07.2022

वादीगण द्वारा प्रस्तुत बाद-पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादीगण का संयुक्त हिन्दू
 परिवार था जिसके मुखिया स्व० लक्ष्मण सिंह थे। वादीगण के परिवार द्वारा परिवार की
 गायल जकरती हेतु अपने पूर्वजों से प्राप्त कृषि भूमि में से कुछ रकबा प्रतिवादी संख्या 1
 ता 3 को विक्रय कर दिया गया। वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के
 नाम से एक 5-सी छोटी के विभिन्न संयुक्त खालों में से निम्न प्रकार से कृषि भूमि दर्ज
 कामागत राज है:-

क्र०	शु०	वक	खाला शु०	रकबा का विवरण
1.	5-सी छोटी	104/77	शु० न० 46 (3.036 है० यानि 12 बीघा) गुरपील कार का हिस्सा 689/3036 (0.689 है० यानि 2 बीघा 14) बिस्वा) देवन्दपाल सिंह बसरा का हिस्सा 5/22 (0.690 है० यानि 2 बीघा 14) बिस्वा) बूटा सिंह का हिस्सा 1379/3036 (1.379 है० यानि 5 बीघा 9 बिस्वा) सन्तोख सिंह का हिस्सा 139/1518 (0.278 है० यानि 1 बीघा 2 बिस्वा)	
2.	5-सी छोटी	97/58	शु० न० 46 (3.289 है० यानि 13 बीघा) गुरपील कार का हिस्सा 822/3289 (0.822 है० यानि 3 बीघा 5 बिस्वा) देवन्दपाल सिंह बसरा का हिस्सा 20192/82225 (0.807 है० यानि 3 बीघा 3= बिस्वा) बूटा सिंह का हिस्सा 1644/3289 (1.645 है० यानि 6 बीघा 10 बिस्वा) हरबस सिंह का हिस्सा 383/82225 (0.015 है० यानि 1 (बिस्वा)	
3.	5-सी छोटी	96/73	शु० न० 53 (3.113 है० यानि 12 बीघा 6 बिस्वा) बूटा सिंह का हिस्सा 1557/3113 (1.557 है० यानि 6 बीघा 3 बिस्वा) बलजील सिंह का हिस्सा 778/3113 (0.778 है० यानि 3 बीघा 1) बिस्वा) हरनक सिंह का हिस्सा 525/3113 (0.525 है० यानि 2 बीघा 1) बिस्वा) हरबस सिंह का हिस्सा 23/283 (0.253 है० यानि 1 बीघा)	
4.	5-सी छोटी	82/61	शु० न० 53 (3.087) + शु० न० 55 (3.163), कुल खाला 6. 250 है० यानि 24 बीघा 14 बिस्वा) अमरीक सिंह शंवल का हिस्सा 253/12500 (0.127 है० यानि 10 बिस्वा) वर्तमान कार का हिस्सा 253/6250 (0.253 है० यानि 1 बीघा) निमल सिंह का हिस्सा 1391/6250 (1.391 है० यानि 5 बीघा 10 बिस्वा)	

उक्त खालों की वर्तमान जमाबन्दियों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न वाद पत्र है।

5.	5-सी छोटी	72/51	<p>परमजीव कौर का हिस्सा 38/625</p> <p>(0.380 है0 यानि 1 बीघा 10 बिस्वा)</p> <p>बलजीव सिंह का हिस्सा 2619/12500</p> <p>(1.310 है0 यानि 5 बीघा 3) बिस्वा)</p> <p>विन्दपाल सिंह का हिस्सा 22/3125</p> <p>(0.044 है0 यानि 3) बिस्वा)</p> <p>मनजीव कौर का हिस्सा 551/12500</p> <p>(0.276 है0 यानि 1 बीघा 2 बिस्वा)</p> <p>सुखविन्द कौर का हिस्सा 1563/25000</p> <p>(0.390 है0 यानि 1 बीघा 11 बिस्वा)</p> <p>हरनक सिंह का हिस्सा 1563/25000</p> <p>(0.390 है0 यानि 1 बीघा 11 बिस्वा)</p> <p>हरबस सिंह का हिस्सा 1689/6250</p> <p>(1.689 है0 यानि 6 बीघा 13 बिस्वा)</p>
5.	5-सी छोटी	72/51	<p>मु0 न0 55 (3.162 है0 यानि 12 बीघा 10 बिस्वा)</p> <p>अमरीक सिंह भोवाल का हिस्सा 253/3162</p> <p>(0.253 है0 यानि 1 बीघा)</p> <p>अमरीक सिंह का हिस्सा 253/1581</p> <p>(0.506 है0 यानि 2 बीघा)</p> <p>बूटा सिंह का हिस्सा 1/2</p> <p>(1.581 है0 यानि 6 बीघा 5 बिस्वा)</p> <p>बलजीव सिंह का हिस्सा 1/102</p> <p>(0.031 है0 यानि 2) बिस्वा)</p> <p>हरनक सिंह का हिस्सा 791/3162</p> <p>(0.791 है0 यानि 3 बीघा 2) बिस्वा)</p>

खाला संख्या 82/61 की क्रम संख्या 1 में एवं खाला संख्या 72/51 की क्रम संख्या 1 व 2 में दर्ज खातेदार अमरीक सिंह भोवाल एवं अमरीक सिंह एक ही व्यक्ति के नाम हैं जिसका सही नाम अमरीक सिंह भोवाल है जिस वर्तमान वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 बनाया गया है। वादीगण के पूर्वज स्व0 लक्ष्मण सिंह का अपने पुत्रों विविज सिंह, त्रिलोक सिंह, बूटा सिंह एवं बलकार सिंह उर्फ लाल सिंह के साथ संयुक्त हिन्दू परिवार था। संयुक्त परिवार द्वारा संयुक्त परिवार की धैरक सम्पत्ति की आय से कुछ आराजी संयुक्त परिवार के सदस्यों के नाम से अर्जित की गई। इस अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 4 संतोख सिंह से मुरखा नम्बर 46 के किला नम्बर 1 ता 4, 7, 8, 13, 14, 16 (18 बिस्वा), 17, 18, कुल 10 बीघा 18 बिस्वा आराजी खरीद की गई। योंके प्रतिवादी संख्या 4 संतोख सिंह के पास एक 5-सी छोटी के मुरखा नम्बर 46 की कुल 12 बीघा कृषि भूमि थी जिसमें से उसने उक्तानुसार किलावाइज 10 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि विविज सिंह वगैरह को विक्रय कर दी थी। इस सम्बन्ध में दर्ज हुए इत्तकाल संख्या 2 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है। विक्रय उपरान्त संतोख सिंह के पास मुरखा नम्बर 46 के किला नम्बर 15 सालम व किला नम्बर 16 की 2 बिस्वा, कुल 1 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि दर्ज कानजाल राज रही जो कि एक 5-सी छोटी के वर्तमान खाला संख्या 104/77 में प्रतिवादी संख्या 4 संतोख सिंह के नाम से 139/1518 हिस्सा (0.278 हैवटेयर यानि 1 बीघा 2 बिस्वा) आराजी दर्ज कानजाल राज है। वादीगण संयुक्त परिवार की आराजी संयुक्त रूप से काइल करते रहे। संयुक्त परिवार की आराजी में से कुछ रकबा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को विक्रय करने के उपरान्त संयुक्त परिवार में आपसी सदभावना व प्रेम बनाये रखने के लिए परिवार के सभी सदस्यों द्वारा आपस में मिल बैठ कर एक परिवारिक समझौता (Family settlement) कर लिया ताकि परिवार में आगे प्रेम व सदभावना बनी रहे। उक्त परिवारिक समझौता के आधार पर वादीगण ने

1250/12500

27/07/2022
 2022/07/27
 (संख्या/दिनांक)

b) एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 97/58 के मुख्या नम्बर 46 के किला नम्बर 5/2 (0.123 है0 (0.112 है0 नहरी, 0.011 है0 खाला) उत्तरी साईड किला नम्बर 4/1 के साथ विपत्ती हुई), 7 (0.253 है0), 8 (0.253 है0), कुल 1.203 है0।

a) एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 104/77 के मुख्या नम्बर 46 के किला नम्बर 1/2 (0.224 है0 पूर्वी-दक्षिणी साईड), 2/2 (0.238 है0 दक्षिणी साईड), 3/3 (0.177 है0 दक्षिणी-पश्चिमी साईड), 4/4 (0.058 है0 उत्तरी साईड किला नम्बर

(iv) देवेन्द्रपाल सिंह बसरा वादी संख्या 1 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि

कुल 0.015 + 0.015 = 0.030 हैक्टयर

किला नम्बर 10/1 (0.015 है0 पश्चिमी साईड किला लार्डन के साथ विपत्ती हुई) 0.004 है0 खाला) उत्तरी साईड किला लार्डन के साथ विपत्ती हुई, किला नम्बर 5/1 0.015 है0 (0.011 नहरी, 0.004 है0 खाला) उत्तरी साईड किला लार्डन के साथ विपत्ती हुई,

सिंह के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि:-

देवेन्द्रपाल सिंह बसरा व वादी संख्या 5 बलजीत सिंह एवं वादी संख्या 7 बूटा 5/1 व 10/1 की संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर-बराबर वादी संख्या 1 एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 97/58, मुख्या नम्बर 46 के किला नम्बर

कुल 0.014 हैक्टयर

किला नम्बर 4/2 (0.014 है0 पूर्वी साईड किला लार्डन के साथ विपत्ती हुई)

बसरा व वादी संख्या 7 बूटा सिंह के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि:-

4/2 की संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर-बराबर वादी संख्या 1 देवेन्द्रपाल सिंह एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 104/77, मुख्या नम्बर 46 के किला नम्बर

कुल 0.029 + 0.015 + 0.015 = 0.074 हैक्टयर

किला नम्बर 4/1 (0.015 है0 उत्तरी साईड किला लार्डन के साथ विपत्ती हुई)

किला नम्बर 3/1 (0.015 है0 उत्तरी साईड किला लार्डन के साथ विपत्ती हुई)

किला नम्बर 2/1 (0.015 है0 उत्तरी साईड किला लार्डन के साथ विपत्ती हुई)

विपत्ती हुई)

किला नम्बर 1/1 (0.029 है0 उत्तरी व पश्चिमी साईड किला लार्डन के साथ

7 बूटा सिंह के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि:-

संख्या 1 देवेन्द्रपाल सिंह बसरा व वादी संख्या 5 बलजीत सिंह एवं वादी संख्या 1/1, 2/1, 3/1 व 4/1 की संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर-बराबर वादी संख्या 104/77, मुख्या नम्बर 46 के किला नम्बर

विवादीगण संख्या 1 ता 3 के हिस्सा में दर्ज आराजी का विवरण निम्न प्रकार से है:-

उक्त पारिवारिक समझौता के आधार पर किये गये विमानन के अनुसार वादीगण व नाम व किला नम्बर 16 के 2 हिस्सा, कुल 1 बीघा 2 हिस्सा रकबा कालान्तर से ही दर्ज विरक्त प्रतिवादी संख्या 4 सन्तोष सिंह के नाम मुख्या नम्बर 46 के किला नम्बर 15 विवादीगण संख्या 1 ता 3 अपन-अपन हिस्सा पर काबिल चल आ रहे हैं। इसके अनुसार कब्जा दे दिया गया। इस विमानन के अनुसार निम्न प्रकार से रकबा विमानन कर लिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को उनके द्वारा खरीद किये गये रकबे के superior and interior quality) तथा खाल व खाल का खाल न संख्या 3, नाम न

5/1 के साथ विपत्ति हुई, 6/2 (0.238 है 0 (0.217 है 0 नहरी, 0.021 है 0 खाली) दक्षिणी साईड), कुल 0.361 है 0।

उत्तानुसार वादी संख्या 1 देवन्दपाल सिंह बसरा को पारिवारिक बंटवारा में मुरबा 46 के किला नम्बर 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 में 0.074 हैक्टयर व 5/1, 10/1 में 0.030 हैक्टयर, कुल 0.074 + 0.030 = 0.104 हैक्टयर में से 1/3 हिस्सा अर्थात् 0.035 हैक्टयर व किला नम्बर 4/2 की कुल 0.014 हैक्टयर में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 0.007 हैक्टयर एवं किला नम्बर 1/2, 2/2, 3/3, 4/4, 7, 8 में कुल 1.203 हैक्टयर तथा किला नम्बर 5/2, 6/2 में कुल 0.361 हैक्टयर रकबा दिया गया है। इस प्रकार वादी संख्या 1 को प्राप्त कुल रकबा 0.035 + 0.007 + 1.203 + 0.361 = 1.606 हैक्टयर।

(v) हरनेक सिंह बसरा वादी संख्या 2 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि

वक 5-सी छोटी के खाला संख्या 104/77 के मुरबा नम्बर 46 के किला नम्बर 13/1 (0.185 है 0 पूर्वी साईड), 14 (0.253 है 0), 16/2 खो.228 है 0 (0.205 है 0 नहरी, 0.023 है 0 खाली), दक्षिणी साईड, 17/1 (0.152 है 0), 18/1 (0.185 है 0 पूर्वी साईड), कुल 1.003 है 0।

b) वक 5-सी छोटी के खाला संख्या 97/58 के मुरबा नम्बर 46 के किला नम्बर 9 (0.253 है 0), 10/2 (0.238 है 0 पूर्वी साईड), 25/2 खो.127 है 0 (0.114 है 0 नहरी, 0.013 है 0 खाली) दक्षिणी साईड, कुल 0.618 है 0। इस प्रकार वादी संख्या

2 को प्राप्त कुल रकबा 1.003 + 0.618 = 1.621 हैक्टयर।

(vi) मनजीत कौर वादी संख्या 3 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि

a) वक 5-सी छोटी के खाला संख्या 97/58 के मुरबा नम्बर 46 के किला नम्बर 24/2 (0.149 है 0 (0.134 है 0 नहरी, 0.015 है 0 खाली) पूर्वी साईड, 25/1 (0.126 है 0 (0.114 है 0 नहरी, 0.012 है 0 खाली) उत्तरी साईड, कुल 0.275 है 0। इस प्रकार वादी संख्या 3 को प्राप्त कुल रकबा

(vii) सुखजिन्द कौर वादी संख्या 4 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि

a) वक 5-सी छोटी के खाला संख्या 104/77 के मुरबा नम्बर 46 के किला नम्बर 17/2 (0.101 है 0 दक्षिणी साईड), कुल 0.101 है 0।

b) वक 5-सी छोटी के खाला संख्या 97/58 के मुरबा नम्बर 46 के किला नम्बर 23/1 खो.185 है 0 (0.167 है 0 नहरी, 0.018 है 0 खाली) पूर्वी साईड, 24/1 खो. 104 है 0 (0.094 है 0 नहरी, 0.010 है 0 खाली) पश्चिमी साईड, कुल 0.289 है 0। इस प्रकार वादी संख्या 4 को प्राप्त कुल रकबा

(viii) बलजीत सिंह वादी संख्या 5 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि

a) वक 5-सी छोटी के खाला संख्या 104/77 के मुरबा नम्बर 46 के किला नम्बर 3/2 (0.061 है 0 पूर्वी साईड), 4/5 (0.114 है 0 पश्चिमी साईड), कुल 0.175 है 0।

b) वक 5-सी छोटी के खाला संख्या 82/61 के मुरबा नम्बर 55 के किला नम्बर 5/1 (0.126 है 0 उत्तरी-पश्चिमी कोर्नर), 13/2 (0.127 है 0 पूर्वी साईड), 14 (0.127 है 0)।

24/8/2012 (समय) 24/8/2012

(xi) हरबंस सिंह वादी संख्या 8 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि

$$+ 0.188 + 1.716 + 3.087 = 5.033 \text{ हैक्टयर।}$$

उत्तानुसार वादी संख्या 7 बूटा सिंह को पारिवारिक बंटवारा में मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 में 0.074 हैक्टयर व 5/1, 10/1 में 0.030 हैक्टयर, कुल 0.074 + 0.030 = 0.104 हैक्टयर में से 1/3 हिस्सा अर्थात् 0.035 हैक्टयर व किला नम्बर 4/2 को कुल 0.014 हैक्टयर में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 0.007 हैक्टयर एवं किला नम्बर 4/3, 13/2, 18/2 में 0.188 है, 5/3, 6/1, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23/2 में कुल 1.716 हैक्टयर तथा मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 13/2 में कुल 3.087 हैक्टयर रकबा दिया गया है। इस प्रकार वादी संख्या 7 को प्राप्त कुल रकबा 0.035 + 0.007

$$13/2 में कुल रकबा 3.087 है०।$$

(c) एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 82/61 के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर

5/3 ख.115 है० (0.105 है० नहयी, 0.010 है० खाला) दक्षिणी साईड, 6/1 ख. 0.15 है० (0.011 है० नहयी, 0.004 है० खाला) उत्तरी साईड, 11 (0.253 है०), 12 (0.253 है०), 19 (0.253 है०), 20 (0.253 है०), 21 ख.253 है० (0.228 है० नहयी, 0.025 है० खाला), 22 ख.253 है० (0.228 है० नहयी, 0.061 है० नहयी, 0.007 है० खाला) पश्चिमी साईड, कुल 1.716 है०।

(c)

(b)

एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 97/58 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर

4/3 (0.052 है० दक्षिणी साईड), 13/2 (0.068 है० पश्चिमी साईड), 18/2 (0.068 है० पश्चिमी साईड), कुल 0.188 है०।

(a)

एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 104/77 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर

(x) बूटा सिंह वादी संख्या 7 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि

$$\text{वादी संख्या 6 को प्राप्त कुल रकबा 1.644 हैक्टयर}$$

पश्चिमी साईड, 20 (0.253 है०), 21 (0.253 है०), कुल 1.644 है०। इस प्रकार

(a)

एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 72/51 के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 9

(ix) गुरजीत कौर वादी संख्या 6 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि

$$175 + 1.164 + 0.632 = 2.005 \text{ हैक्टयर।}$$

रकबा दिया गया है। इस प्रकार वादी संख्या 5 को प्राप्त कुल रकबा 0.034 + 0.175 हैक्टयर एवं हिस्सा अर्थात् 0.034 हैक्टयर, किला नम्बर 3/2, 4/5 में 0.175 हैक्टयर एवं नम्बर 46 के किला नम्बर 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 में 0.074 हैक्टयर व 5/1, 10/1 में 0.030 हैक्टयर, कुल 0.074 + 0.030 = 0.104 हैक्टयर में से 1/3 हिस्सा अर्थात् 0.034 हैक्टयर, किला नम्बर 5/1, 13/2, 14, 17/1, 18/1, 19, 22/1 में कुल 1.164 हैक्टयर व किला नम्बर 3/1, 4/1, 7, 8 में 0.632 हैक्टयर रकबा दिया गया है। इस प्रकार वादी संख्या 5 को प्राप्त कुल रकबा 0.034 + 0.

$$\text{है०), 8 (0.253 है०), कुल 0.632 है०।}$$

एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 72/51 के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 3/1 (0.063 है० दक्षिणी साईड), 4/1 (0.063 है० दक्षिणी साईड), 7 (0.253 है०), 8 (0.253 है०), कुल 1.164 है०।

(c)

253 है०), 17/1 (0.190 है० उत्तरी साईड), 18/1 (0.190 है० उत्तरी साईड), 19 (0.253 है०), 22/1 (0.025 उत्तरी साईड) कुल 1.164 है०।

22/07/2024
 90.00
 22/07/2024
 90.00

उत्तरानुसार प्रत्येक प्रकार की पारिवारिक बंटवारा उपरान्त एक 5-सी
 छोटी के मुखिया नम्बर 46, 53 व 55 में प्राप्त होने वाले रकबा को तीनों मुखिया
 के नदरों में दशाया गया है। नदरों में दशाया गये रकबा के अनुसार ही वर्तमान
 में वादीगण उक्त रकबा जो कि पारिवारिक बंटवारा नामा के अनुसार उक्त

इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 को प्राप्त कुल रकबा
 0.278 है।

a) एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 104/77 के मुखिया नम्बर 46 के किला नम्बर
 15 खो.253 है 0 (0.228 है 0 नदरी, 0.025 है 0 खाला), 16/1 (0.025 है 0 (0.023
 है 0 नदरी, 0.002 है 0 खाला) उत्तरी साईड, कुल 0.278 है 0।
 रही कृषि भूमि

(xvii) सनाख सिंह प्रतिवादी संख्या 4 के हिस्सा व कब्जा में कालान्तर से वही आ
 0.379 है।

a) एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 82/61 के मुखिया नम्बर 55 के किला नम्बर
 23 (0.253 है 0), 17/2 (0.063 है 0 दक्षिणी साईड), 18/2 (0.063 है 0 दक्षिणी
 साईड), कुल 0.379 है 0। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 को प्राप्त कुल रकबा

(xvi) परमजीत कौर प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि
 संख्या 2 को प्राप्त कुल रकबा 1.392 है।

a) एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 82/61 के मुखिया नम्बर 55 के किला नम्बर
 5/2 (0.127 है 0 दक्षिणी-पूर्वी कोनर), 6 (0.253 है 0), 15 (0.253 है 0), 16 (0.
 253 है 0), 24 (0.253 है 0), 25 (0.253 है 0), कुल 1.392 है 0। इस प्रकार प्रतिवादी

(xv) निर्मल सिंह प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि
 रकबा 0.886 है।

a) एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 72/51 के मुखिया नम्बर 55 के किला नम्बर 1
 (0.253 है 0), 2 (0.253 है 0), 3/2 (0.190 है 0 उत्तरी साईड), 4/2 (0.190 है 0
 उत्तरी साईड), कुल 0.886 है 0। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त कुल

(xiv) अमरीक सिंह भोवाल प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि
 कुल रकबा 0.038 है।

a) एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 82/61 के
 मुखिया नम्बर 55 के किला नम्बर 22/2 (0.038 है 0 उत्तरी साईड किला नम्बर
 22/1 के साथ विपत्ता), कुल 0.038 है 0। इस प्रकार वादी संख्या 10 को प्राप्त

(xiii) विन्दपाल सिंह वादी संख्या 10 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि
 0.190 है।

a) एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 82/61 के मुखिया नम्बर 55 के किला नम्बर
 22/3 (0.190 है 0 दक्षिणी साईड), कुल 0.190 है 0।
 इस प्रकार वादी संख्या 9 को प्राप्त कुल रकबा

(xii) दलजिन्द कौर वादी संख्या 9 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि
 प्राप्त कुल रकबा 3.113 है।
 (0.228 है 0), 7 नदरी, 2 नदरी, 13/1 (0.152 है 0), कुल 3.113 है 0। इस प्रकार वादी संख्या 8 का

07/2022
10/11/2022

किला नम्बर 1/1 (0.029 है0 उत्तरी व पश्चिमी साईड किला लार्डन के साथ
किला नम्बर 2/1 (0.015 है0 उत्तरी साईड किला लार्डन के साथ
किला नम्बर 3/1 (0.015 है0 उत्तरी साईड किला लार्डन के साथ
किला नम्बर 4/1 (0.015 है0 उत्तरी साईड किला लार्डन के साथ
किला नम्बर 5/1 (0.015 है0 उत्तरी साईड किला लार्डन के साथ

7 बूटा सिंह के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि:-

संख्या 1 देवेन्द्रपाल सिंह बसरा व वादी संख्या 5 बलजीत सिंह एवं वादी संख्या
1/1, 2/1, 3/1 व 4/1 की संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर-बराबर वादी
एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 104/77, मुरबा नम्बर 46 के किला नम्बर

निम्न प्रकार है:-

कर रहे है। राजीनामा अनुसार पक्षकारान के हिस्से में आय रकब का विवरण
न्यायालय के समक्ष, पचायत में हुए राजीनामा अनुसार लिखित में राजीनामा पेश
अनवानी दावा वादीगण द्वारा दापर किया गया था। इस पक्षकारान पुनः माननीय
आ रहे है जिसको कानूनी राज में अमल दरामद करवाने के लिए उक्त
अनुसार आज तक पक्षकारान अपने-अपने हिस्से में आय रकब पर काबिज बने
खाल व रास्ते को ध्यान में रखते हुए एक बंटवारा किया गया था व उसी
का रकबा की अच्छी व माझी किस्म (Superior and Inferior Quality) तथा
पूर्व में भी पारिवारिक समझौता (Family Settlement) के द्वारा संयुक्त कृषि भूमि
पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा करवा दिया गया है। पक्षकारान के मध्य
किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उक्त अनवानी प्रकरण में पचायत द्वारा
दोकर दिनांक 07.06.2022 को आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश
के मुख्यधारआम राजविन्दसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा स्वयं उपस्थित
को जलिये समान तलब किया गया। वादी संख्या 1 ता 10 एवं प्रतिवादी संख्या 1
वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण

हो, वह भी प्रदान किया जावे।

करे। खर्चा मुकदमा दिलाया जावे। अन्य अनुरोध जो कि वादीगण के हक में
के नाम से वाद पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णितानुसार नवीनतम खाले कायम
रिकॉर्ड में उक्त विभाजन के अनुसार भूमि दर्ज करे तथा वादीगण व प्रतिवादीगण
आदेश दिया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 को आदेशित किया जावे कि वह राजस्व
संख्या 1 ता 4 के नाम से खालेदाही दर्ज करने, मामला लाना कायम करने का
वाद पत्र की मद संख्या 5 में अंकित/दर्ज भूमि किलावाइज वादीगण व प्रतिवादी
रखने के लिए किये गये पारिवारिक बंटवारा नामा को मान्यता प्रदान करते हुए
उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद, आपसी सद्भाव व प्रेम को बनाये
अतः दावा वादीगण पेश करके अर्ज है कि दावा वादीगण स्वीकार करके

लाना आवश्यक हो गया है।

20.12.2021 को साफ इन्कार हो गये। अतः यही बिनाए मुख्यासमत है तथा दावा
के अर्जित प्रभाव में होने के कारण टाल-मटोल करते रहे तथा अन्ततः दिनांक
देकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाये, लेकिन प्रतिवादीगण अन्य लोगों
पारिवारिक बंटवारा नामा के आधार पर किये गये रकबा विभाजन को मान्यता
करवाना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से बार-बार आग्रह किया कि वे
अपने-अपने हिस्सा व कब्जा में आय रकबा का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद
हिस्सा में आया, पर काबज बल आ रहे है एवं इसी प्रकार से ही वादीगण



नम्बर 4/3 (0.052 है 0 दक्षिणी साईं), 13/2 (0.068 है 0 परिवर्तनी साईं), एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 104/77 के मुखला नम्बर 46 के किला

10. बलजित सिंह वादी संख्या 7 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि :-

इस प्रकार वादी संख्या 6 को प्राप्त कुल रकबा 1.644 है वर्तमान।
 नम्बर 9 (0.253 है 0), 10 (0.253 है 0), 11 (0.253 है 0), 12 (0.253 है 0), 13/1 (0.126 है 0 परिवर्तनी साईं), 20 (0.253 है 0), 21 (0.253 है 0), कुल 1.644 है 0।

9. परजित कौर वादी संख्या 6 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि:-

उत्तरानुसार वादी संख्या 5 बलजित सिंह को पारिवारिक बंटवारा में मुखला नम्बर 46 के किला नम्बर 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1 में 0.030 है वर्तमान, कुल 0.074 + 0.030 = 0.104 है वर्तमान में से 1/3 हिस्सा अर्थात् 0.034 है वर्तमान, किला नम्बर 3/2, 4/5 में 0.175 है वर्तमान एवं मुखला नम्बर 55 के किला नम्बर 5/1, 13/2, 14, 17/1, 18/1, 19, 22/1 में कुल 1.164 है वर्तमान व किला नम्बर 3/1, 4/1, 7, 8 में 0.632 है वर्तमान रकबा दिया गया है। इस प्रकार वादी संख्या 5 को प्राप्त कुल रकबा 0.034 + 0.175 + 1.164 + 0.632 = 2.005 है वर्तमान।

वक 5-सी छोटी के खाला संख्या 72/51 के मुखला नम्बर 55 के किला नम्बर 3/1 (0.063 है 0 दक्षिणी साईं), 4/1 (0.063 है 0 दक्षिणी साईं), 7 (0.253 है 0), 8 (0.253 है 0), कुल 0.632 है 0।

वक 5-सी छोटी के खाला संख्या 82/61 के मुखला नम्बर 55 के किला नम्बर 5/1 (0.126 है 0 उत्तरी-पश्चिमी कोनर), 13/2 (0.127 है 0 पूर्वी साईं), 14 (0.253 है 0), 17/1 (0.190 है 0 उत्तरी साईं), 18/1 (0.190 है 0 उत्तरी साईं), 19 (0.253 है 0), 22/1 (0.025 उत्तरी साईं) कुल 1.164 है 0।

8. बलजित सिंह वादी संख्या 5 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि :-

वक 5-सी छोटी के खाला संख्या 104/77 के मुखला नम्बर 46 के किला नम्बर 3/2 (0.061 है 0 पूर्वी साईं), 4/5 (0.114 है 0 परिवर्तनी साईं), कुल 0.175 है 0।

वक 5-सी छोटी के खाला संख्या 97/58 के मुखला नम्बर 46 के किला नम्बर 17/2 (0.101 है 0 दक्षिणी साईं), कुल 0.101 है 0।

वक 5-सी छोटी के खाला संख्या 97/58 के मुखला नम्बर 46 के किला नम्बर 24/2 (0.149 है 0 नदरी, 0.015 है 0 खाला) पूर्वी साईं, 25/1 (0.126 है 0 नदरी, 0.012 है 0 खाला) उत्तरी साईं, कुल 0.275 है 0। इस प्रकार वादी संख्या 3 को प्राप्त कुल रकबा 0.275 है वर्तमान।



13/2017 (संख्या)
 No.

11. हरबंस सिंह वादी संख्या 8 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि:-
 एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 96/73 के मुख्या नम्बर 53 के किला नम्बर 1 (0.228 है0), 2 से 9 (प्रत्येक 0.253 है0), 10 (0.228 है0), 11 (0.228 है0), 12 (0.253 है0), 13/1 (0.152 है0), कुल 3.113 है0। इस प्रकार वादी संख्या 8 को प्राप्त कुल रकबा 3.113 है0।
12. दलजिन्द कौर वादी संख्या 9 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि:-
 एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 82/61 के मुख्या नम्बर 55 के किला नम्बर 22/3 (0.190 है0 दक्षिणी साईड), कुल 0.190 है0। इस प्रकार वादी संख्या 9 को प्राप्त कुल रकबा 0.190 है0।
13. विन्दपाल सिंह वादी संख्या 10 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि:-
 एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 82/61 के मुख्या नम्बर 55 के किला नम्बर 22/2 (0.038 है0 उत्तरी साईड किला नम्बर 22/1 के साथ विपत्ता), कुल 0.038 है0। इस प्रकार वादी संख्या 10 को प्राप्त कुल रकबा 0.038 है0।
14. अमरीक सिंह भोगल प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि:-
 एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 72/51 के मुख्या नम्बर 55 के किला नम्बर 1 (0.253 है0), 2 (0.253 है0), 3/2 (0.190 है0 उत्तरी साईड), 4/2 (0.190 है0 उत्तरी साईड), कुल 0.886 है0। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त कुल रकबा 0.886 है0।
15. निमल सिंह प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि
 एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 82/61 के मुख्या नम्बर 55 के किला नम्बर 5/2 (0.127 है0 दक्षिणी-पूर्वी कॉर्नर), 6 (0.253 है0), 15 (0.253 है0), 16 (0.253 है0), 24 (0.253 है0), 25 (0.253 है0), कुल 1.392 है0। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त कुल रकबा 1.392 है0।

उत्तानुसार वादी संख्या 7 बूटा सिंह को पारिवारिक बंटवारा में मुख्या नम्बर 46 के किला नम्बर 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 में 0.074 हैक्टयर व 5/1, 10/1 में 0.030 हैक्टयर, कुल 0.074 + 0.030 = 0.104 हैक्टयर में से 1/3 हिस्सा अर्थात् 0.035 हैक्टयर व किला नम्बर 4/2 की कुल 0.014 हैक्टयर में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 0.007 हैक्टयर एवं किला नम्बर 4/3, 13/2, 18/2 में 0.188 है0, 5/3, 6/1, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23/2 में कुल 1.716 हैक्टयर तथा मुख्या नम्बर 53 के किला नम्बर 13/2 से 25 में कुल 3.087 हैक्टयर रकबा दिया गया है। इस प्रकार वादी संख्या 7 को प्राप्त कुल रकबा 0.035 + 0.007 + 0.188 + 1.716 + 1.716 + 3.087 = 5.033 हैक्टयर।

नम्बर 13/2 से 25 में कुल रकबा 3.087 है0।
 एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 82/61 के मुख्या नम्बर 53 के किला नम्बर 13/2 से 25 में कुल रकबा 3.087 है0।
 कुल 1.716 है0।
 नम्बर 5/3 (0.115 है0 नहरी, 0.010 है0 खाला) दक्षिणी साईड,, 6/1 (0.015 है0 नहरी, 0.004 है0 खाला) उत्तरी साईड,, 11 (0.253 है0), 12 (0.253 है0), 19 (0.253 है0), 20 (0.253 है0), 21 (0.253 है0 (0.228 है0 नहरी, 0.025 है0 खाला), 22 (0.253 है0 नहरी, 0.025 है0 खाला), 23/2 (0.068 है0 (0.061 है0 नहरी, 0.007 है0 खाला) पश्चिमी साईड,, कुल 1.716 है0।

यक 5-सी छोटी के खाला संख्या 82/61 के मूरखा नम्बर 55 के किला नम्बर 23 (0.253 है0), 17/2 (0.063 है0 दक्षिणी साईड), 18/2 (0.063 है0 दक्षिणी साईड), कुल 0.379 है0। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 को प्राप्त कुल रकबा 0.379 है0।

यक 5-सी छोटी के खाला संख्या 82/61 की क्रम संख्या 1 एवं खाला संख्या 72/51 की क्रम संख्या 1 व 2 में दर्ज खातेदार अमरीक सिंह शंवाल एवं अमरीक सिंह एक ही व्यक्ति के नाम हैं जिसका सही नाम अमरीक सिंह शंवाल है। इस राजीनामा में अमरीक सिंह शंवाल को प्राप्त होने वाली कृषि भूमि उसके सही व वास्तविक नाम अमरीक सिंह शंवाल के नाम से दर्ज की जावे जिससे सभी पक्षकारान सहमत व राजामन्द है। इस प्रकार पक्षकारान के हिस्सा व कब्जा में उपरीक्तानुसार रकबा आया है तथा वे उपरानुसार अपने-अपने हिस्से में आवे रकबा पर अरसा दराज से काबिज बने आ रहे हैं। राजीनामा की ऊह से उपरीक्तानुसार पक्षकारान के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में रकबा का अमल दराज कर दिया जाये जिससे पक्षकारान पूर्णतः सहमत व राजामन्द है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

बहुस उपपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजाल का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 ग्राम 5 सी छोटी, एलएनपी भू.अ. नि. क्षेत्र 18 जैड खाला संख्या 104/77, जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 ग्राम 5 सी छोटी, 3 सी छोटी, एलएनपी भू.अ. नि. क्षेत्र 18 जैड खाला संख्या 96/73, जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 ग्राम 5 सी छोटी, 3 सी छोटी, एलएनपी भू.अ. नि. क्षेत्र 18 जैड खाला संख्या 97/58, जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 ग्राम 5 सी छोटी, 3 सी छोटी, एलएनपी भू.अ. नि. क्षेत्र 18 जैड खाला संख्या 72/51, जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 ग्राम 5 सी छोटी, 3 सी छोटी, एलएनपी भू.अ. नि. क्षेत्र 18 जैड खाला संख्या 104/77, की प्रतियां पेश की गई। वादी द्वारा एलएनपी भू.अ. नि. क्षेत्र 18 जैड खाला संख्या 104/77, की प्रतियां पेश की गई। वादी द्वारा भूमि के विस्तारन साक्ष्य के रूप में जमाबंदी ग्राम 5 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर खाला संख्या 2/27 की प्रमाणित प्रति पेश की। प्रस्तुत जमाबन्दियों के अवलोकन से उक्त वादग्रस्त भूमि का पूर्णक होने सिद्ध होता है।

—:: आदेश ::—

वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से हैं। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है।

"राजस्थान काइलकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिकी किया जा सकता है।"

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :-

1. यक 5-सी छोटी के खाला संख्या 104/77, मूरखा नम्बर 46 के किला नम्बर 1/1, 2/1, 3/1 व 4/1 की संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर-बराबर वादी संख्या 1 देवेन्द्रपाल सिंह बसरा व वादी संख्या 5 बलजीत सिंह एवं वादी संख्या 7 बूटा सिंह के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि:-

किला नम्बर 1/1(0.029 है0 उत्तरी व पश्चिमी साईड किला गार्डन के साथ
 किला नम्बर 2/1(0.015 है0 उत्तरी साईड किला गार्डन के साथ
 विपती हुई)

22/8/2022
 साईकरी (राजस्व)
 40

(राजस्व)

22/07/2022
 3 प्रखण्ड (सिंहवाडी (राजसूय)
 श्रीगणेशाय नमः



6. भगजीत कौर वादी संख्या 3 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि :-

यक 5-सी छोटी के खाला संख्या 97/58 के मुख्या नम्बर 46 के किला नम्बर 24/2 (0.149 है0 नहसी, 0.015 है0 खाला) पूर्वी साईड, नम्बर 25/1 (0.126 है0 नहसी, 0.012 है0 खाला) उत्तरी साईड, कुल 0.275 है0। इस प्रकार वादी संख्या 3 को प्राप्त कुल रकबा 0.275 है0।

7. सुखलिनद्र कौर वादी संख्या 4 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि :-

यक 5-सी छोटी के खाला संख्या 104/77 के मुख्या नम्बर 46 के किला नम्बर 17/2 (0.101 है0 दक्षिणी साईड), कुल 0.101 है0। यक 5-सी छोटी के खाला संख्या 97/58 के मुख्या नम्बर 46 के किला नम्बर 23/1 (0.185 है0 नहसी, 0.018 है0 खाला) पूर्वी साईड, नम्बर 24/1 (0.104 है0 नहसी, 0.010 है0 खाला) पश्चिमी साईड, कुल 0.289 है0। इस प्रकार वादी संख्या 4 को प्राप्त कुल रकबा 0.101 + 0.289 = 0.390 है0।

8.

बलजीत सिंह वादी संख्या 5 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि :-

यक 5-सी छोटी के खाला संख्या 104/77 के मुख्या नम्बर 46 के किला नम्बर 3/2 (0.061 है0 पूर्वी साईड), 4/5 (0.114 है0 पश्चिमी साईड), कुल 0.175 है0। यक 5-सी छोटी के खाला संख्या 82/61 के मुख्या नम्बर 55 के किला नम्बर 5/1 (0.126 है0 उत्तरी-पश्चिमी कोनर), 13/2 (0.127 है0 पूर्वी साईड), 14 (0.253 है0), 17/1 (0.190 है0 उत्तरी साईड), 18/1 (0.190 है0 उत्तरी साईड), 19 (0.253 है0), 22/1 (0.025 उत्तरी साईड) कुल 1.164 है0। यक 5-सी छोटी के खाला संख्या 72/51 के मुख्या नम्बर 55 के किला नम्बर 3/1 (0.063 है0 दक्षिणी साईड), 4/1 (0.063 है0 दक्षिणी साईड), 7 (0.253 है0), 8 (0.253 है0), कुल 0.632 है0।

उत्तानुसार वादी संख्या 5 बलजीत सिंह को पारिवारिक बंटवारा में मुख्या नम्बर 46 के किला नम्बर 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 में 0.074 है0 उत्तरी व 5/1, 10/1 में 0.030 है0 उत्तरी, कुल 0.074 + 0.030 = 0.104 है0 उत्तरी व 1/3 हिस्सा अर्थात् 0.034 है0 उत्तरी, किला नम्बर 3/2, 4/5 में 0.175 है0 उत्तरी एवं मुख्या नम्बर 55 के किला नम्बर 5/1, 13/2, 14, 17/1, 18/1, 19, 22/1 में कुल 1.164 है0 उत्तरी व किला नम्बर 3/1, 4/1, 7, 8 में 0.632 है0 उत्तरी रकबा दिया गया है। इस प्रकार वादी संख्या 5 को प्राप्त कुल रकबा 0.034 + 0.175 + 1.164 + 0.632 = 2.005 है0 उत्तरी।

9.

गुरजीत कौर वादी संख्या 6 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि:-

यक 5-सी छोटी के खाला संख्या 72/51 के मुख्या नम्बर 55 के किला नम्बर 9 (0.253 है0), 10 (0.253 है0), 11 (0.253 है0), 12 (0.253 है0), 13/1 (0.126 है0 पश्चिमी साईड), 20 (0.253 है0), 21 (0.253 है0), कुल 1.644 है0। इस प्रकार वादी संख्या 6 को प्राप्त कुल रकबा 1.644 है0 उत्तरी।

पुस्तक संशोधन विभाग (दिल्ली)
 संशोधन विभाग

प्रधान कुल रकबा 0.886 है।
 (0.190 है उत्तरी साईड), कुल 0.886 है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के
 नम्बर 1 (0.253 है), 2 (0.253 है), 3/2 (0.190 है उत्तरी साईड), 4/2
 तक 5-सी छोटी के खाला संख्या 72/51 के मुर्खा नम्बर 55 के किला

14. अन्वीक सिंह शवाल प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि:-

कुल 0.038 है। इस प्रकार वादी संख्या 10 को प्राप्त कुल रकबा 0.038 है।
 नम्बर 22/2 (0.038 है उत्तरी साईड किला नम्बर 22/1 के साथ चिपला),
 तक 5-सी छोटी के खाला संख्या 82/61 के मुर्खा नम्बर 55 के किला

13. विन्दपाल सिंह वादी संख्या 10 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि:-

9 को प्राप्त कुल रकबा 0.190 है।
 नम्बर 22/3 (0.190 है दक्षिणी साईड), कुल 0.190 है। इस प्रकार वादी संख्या
 तक 5-सी छोटी के खाला संख्या 82/61 के मुर्खा नम्बर 55 के किला

12. दलजिन्द कौर वादी संख्या 9 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि:-

संख्या 8 को प्राप्त कुल रकबा 3.113 है।
 है), 12 (0.253 है), 13/1 (0.152 है), कुल 3.113 है। इस प्रकार वादी
 नम्बर 1 (0.228 है), 2 से 9 (प्रत्येक 0.253 है), 10 (0.228 है), 11 (0.228 है)
 तक 5-सी छोटी के खाला संख्या 96/73 के मुर्खा नम्बर 53 के किला

11. हरबस सिंह वादी संख्या 8 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि:-

0.188 + 1.716 + 3.087 = 5.033 है।
 दिया गया है। इस प्रकार वादी संख्या 7 को प्राप्त कुल रकबा 0.035 + 0.007 +
 तथा मुर्खा नम्बर 53 के किला नम्बर 13/2 से 25 में कुल 3.087 है।
 0.188 है, 5/3, 6/1, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23/2 में कुल 1.716 है।
 1/2 हिस्सा अर्थात् 0.007 है। एवं किला नम्बर 4/3, 13/2, 18/2 में
 हिस्सा अर्थात् 0.035 है। कुल 0.014 है।
 10/1 में 0.030 है, कुल 0.074 + 0.030 = 0.104 है।
 नम्बर 46 के किला नम्बर 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 में 0.074 है।
 उक्तानुसार वादी संख्या 7 वृत्त सिंह को पारिवारिक बंटवारा में मुर्खा

नम्बर 13/2 से 25 में कुल रकबा 3.087 है।

तक 5-सी छोटी के खाला संख्या 82/61 के मुर्खा नम्बर 53 के किला
 068 है (0.061 है नहरी, 0.007 है खाला) पश्चिमी साईड, कुल 1.716 है।
 025 है (खाला), 22 (0.253 है नहरी, 0.025 है खाला), 23/2 (0.
 (0.253 है), 19 (0.253 है), 20 (0.253 है), 21 (0.253 है नहरी, 0.
 (0.015 है (0.011 है नहरी, 0.004 है खाला) उत्तरी साईड, 11 (0.253 है), 12
 नम्बर 5/3 (0.115 है नहरी, 0.010 है खाला) दक्षिणी साईड, 6/1
 तक 5-सी छोटी के खाला संख्या 97/58 के मुर्खा नम्बर 46 के किला

(0.068 है पश्चिमी साईड), कुल 0.188 है।

नम्बर 4/3 (0.052 है दक्षिणी साईड), 13/2 (0.068 है पश्चिमी साईड), 18/2





श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (पुनर्)
उपखण्ड अधिकारी (पुनर्)
(मनाज कर्मचारी शीना)
No.

निर्णय में इस्तेमाल एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 22.07.2022 को जारी किया जाकर खले न्यायालय में सूनाया गया।

पत्रावली निर्णय शीमार होकर बाद तकनीक टफेतर दालिखल हो।

नहीं किया जावेगा।

राजस्थान अधिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्तित मूँमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम उक्तानुसार समस्त मूँमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा मूँमि की किस्म (यथा नरही/बायनी/वीरमूमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

तहसीलदार (राजस्थान) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार शील्क प्रस्तुत किये जाने पर आदेशानुसार पूर्वा लिखी जायेगी।

खर्चा फरीकन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पूर्वा लिखी हेतु स्टाम्प वास्तविक नाम अमरीक सिंह शंवाल के नाम से दर्ज की जावे। इस राजीनामा में अमरीक सिंह शंवाल को प्राप्त होने वाली कृषि मूँमि उम्मेदक सही व अमरीक सिंह एक ही व्यक्ति के नाम है जिसका सही नाम अमरीक सिंह शंवाल है। संख्या 72/51 की क्रम संख्या 1 व 2 में दर्ज खातेदार अमरीक सिंह शंवाल एवं एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 82/61 की क्रम संख्या 1 एवं खाला

है।

एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 82/61 के मुख्या नम्बर 55 के किले नम्बर 23(0.253 है), 17/2(0.063 है) दक्षिणी साईड, 18/2(0.063 है) दक्षिणी साईड, कुल 0.379 है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 को प्राप्त कुल रकबा 0.379 है।

16. परमजीत कौर प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि मूँमि-

एक 5-सी छोटी के खाला संख्या 82/61 के मुख्या नम्बर 55 के किले नम्बर 5/2 (0.127 है) दक्षिणी-पूर्वी कॉर्नर, 6 (0.253 है), 15 (0.253 है), 16 (0.253 है), 24 (0.253 है), 25 (0.253 है), कुल 1.392 है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त कुल रकबा 1.392 है।

15. निर्मल सिंह प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा व कब्जा में आई कृषि मूँमि